न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, उदयपुर
पीठासीन अधिकारी :– कीर्ति राठौड़, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 02/2025 (डूंगरपुर आर्डर)

मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन प्रो. भंवरलाल कलासुआ पिता सोमा जी कलासुआ, पोस्ट बेडसा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर (राज.)

..........अपीलान्ट

बनाम

राज्य सरकार जरिये अधिशाषी अभियन्ता, जल संसाधन खण्ड प्रथम जिला डूंगरपुर (राज.)

................रेस्पोडेन्ट

अपील अन्तर्गत धारा 23–ए
पी.डी.आर.एक्ट विरूद्ध निर्णय
कलेक्टर, डूंगरपुर दिनांक
08.05.2024 प्र. सं. 1/2020

––::––

उपस्थित :– 1– श्री संजय बोहरा अभिभाषक अपीलान्ट
2– श्री धनसिंह राजकीय अभिभाषक

––::––

निर्णय **दिनांक 16–10–2025**

1. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में हाल रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 3, जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत राजकीय बकाया वसूली का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन प्रो. भंवरलाल कलासुआ पिता सोमा जी कलासुआ, पोस्ट बेडसा, तहसील सीमलवाड़ा, जिला डूंगरपुर जल संसाधन विभाग राजस्थान के जल संसाधन निर्माण विभाग वृत डूंगरपुर में सी–श्रेणी कॉन्ट्रेक्टर के रूप में पंजीकृत थे। मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन प्रो. भंवरलाल कलासुआ को उक्त खण्ड प्रथम डूंगरपुर के अधीन निर्माण कार्य बैलेंस वर्क ऑफ रिहेबिलिटेशन ऑफ मेहतो का पाडला अण्डर राजस्थान माईनर इरीगेशन इम्प्रुवमेंट प्रोजक्ट (RAJAMIP) के कार्य [illegible] में न्यूनतम दर होने से जी शिड्यूल राशि 3432511/– से निविदा [illegible] प्रतिशत कम ऑन बी.एस.आर. पर राशि रूपये 2848984/– की स्वीकृति होने पर संवेदक

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:16 IST
Reason: SelfAttested

भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन के पक्ष में कार्यादेश संख्या 2719–2727 दिनांक 04–07–2011 से राशि रूपये 2848984/– का जारी कर कार्य प्रारम्भ एवं पूर्ण करने की दिनांक 14–07–2011 एवं 13–04–2012 निर्धारित की गयी एवं ठेकेदार के साथ संविदा संख्या 8 वर्ष 2011–12 सम्पादित की गयी। बार–बार नोटिस देने के उपरान्त भी कार्य पूर्ण नहीं करने से अंतिम नोटिस दिनांक 15–03–2012 को जारी कर 15 दिवस में कार्य की प्रगति बढ़ाने हेतु जारी किया गया। अंतिम नोटिस के बावजूद संवेदक द्वारा कार्य अपूर्ण छोड़ देने से अधीक्षण अभियन्ता द्वारा संवेदक के विरूद्ध संविदा की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही के आदेश जारी किये गये तथा अन्य संवेदक/ठेकेदार से पुनः निविदा आमंत्रित की जाकर कार्यालय आदेश क्रमांक 5038–5050 दिनांक 20.09.2012 को कार्यादेश राशि रूपया 3930225/– का श्री विष्णु कुमार लबाना के नाम जारी कर पूर्ण कराया गया। संपादित शेष कार्य हेतु मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन के हर्जे–खर्चे पर संविदा की धारा 3 सी के तहत क्षतिपूर्ति राशि वसूली हेतु संवेदन को सूचना दी गयी, किन्तु लगातार सूचना पत्र जारी किये जाने के बावजूद न तो उनके द्वारा कोई जवाब पेश किया गया है न ही राशि जमा करायी गयी। अतः धारा 2 के तहत अनिष्पादित कार्य पर 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति राशि रूपया 284898/– एवं संविदा की धारा 3 सी के तहत शेष कार्य अन्य संवेदक को 28 प्रतिशत अधिक निविदा दर पर आवंटित होकर पूर्ण कराये जाने की अंतर राशि रूपया 98196/– इस प्रकार कुलिया राशि 383638/– के विरूद्ध जमा धरोहर राशि अपूर्ण अंतिम बिल राशि एवं जब्त पंजीयन राशि 153638/– के समायोजन के बाद शेष राशि 229456/– पी.डी.आर. एक्ट के तहत राजकीय बकाया के रूप में मै. गोविन्द गुरू कन्स्ट्रक्शन से वसूल किये जाने का आदेश फरमावें।

2. अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 08.05.2024 को निर्णय पारित करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर उक्त राशि रूपया 229456/– की वसूली बाबत आदेश पारित किया, जिससे रूष्ट होकर अपीलार्थी/मै. गोविन्द गुरु कन्स्ट्रक्शन द्वारा अपील कार्यालय संभागीय आयुक्त, बांसवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत की गयी, किन्तु राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक [illegible]–2024 से बांसवाड़ा संभाग विलोपित कर दिये जाने से पत्रावली संभागीय आयुक्त,

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

उदयपुर को स्थानान्तरित की गयी, किन्तु संभागीय आयुक्त, उदयपुर ने अपना क्षेत्राधिकार नहीं मानते हुए पत्रावली इस न्यायालय को भिजवायी गयी है।

3. अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोन्डेन्ट को जरिये सम्मन सूचना दी गई, जिस पर रेस्पोन्डेन्ट की ओर से राजकीय अधिवक्ता श्री धनसिंह झाला उपस्थित हुए। अपीलान्ट की ओर से अधिवक्ता श्री संजय बोहरा उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः वक्त बहस दोहराते हुए बताया कि कार्यादेश व संविदा अनुसार अपीलान्ट द्वारा किये जाने वाले कार्य को विभाग के सहायक अभियन्ता, जल संसाधन उपखण्ड सागवाडा द्वारा प्राप्त व बताये गये ले आउट प्लान पर प्रारम्भ किया जाना था, किन्तु बार–बार निवेदन करने पर भी ले–आउट प्लान नहीं देने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो पाया। वर्ष 2017 जो नोटिस रेस्पोडेन्ट द्वारा जारी किये गये वह अपीलान्ट को कभी भी प्राप्त नहीं हुए। रेकार्ड पर ऐसा कोई भी दस्तावेज नहीं है, जिससे यह साबित होता हो कि अपीलान्ट को नोटिस तामील हुआ हो, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे तथा अपीलान्ट की जो राशि जब्त की गयी है वह अपीलान्ट को दिलायी जावे।

5. उक्त बहस का जवाब देते हुए विद्वान अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि फर्म द्वारा संविदा की शर्तो का उल्लंघन किये जाने के कारण उनके विरूद्ध वसूली का जो आदेश अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, वह विधि सम्मत होने से अपील खारिज की जावे।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। जल संसाधन विभाग वृत डूंगरपुर के कार्यकारी अभियन्ता द्वारा आदेश कमांक 2719–2727 दिनांक 04–07–2011 को अपीलान्ट फर्म को आदेश जारी कर पूर्ण करने की दिनांक 13–04–2012 तय की गयी तथा ठेकेदार के साथ संविदा संख्या 8 वर्ष 2011–12 अनुबन्धित की गयी। पत्रावली

Signature Not Verified
Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:10:16 IST
Reason: SelfAttested

भू-प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर (राज.)

पर संलग्न नोटिसों से स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट फर्म को कई बार नोटिस जारी किये गये एवं अंतिम नोटिस दिनांक 15.03.2012 को जारी कर 15 दिवस में कार्य प्रगति बढ़ाकर कार्य पूर्ण करने हेतु सूचित किया गया एवं कार्य व्यवस्था नहीं करने पर अनुबन्ध की धारा 2 व 3 सी के तहत कार्यवाही करने हेतु बाध्य होने बाबत् लिखा गया, किन्तु इसके बावजूद भी अपीलान्ट फर्म द्वारा कार्य पूर्ण नहीं करने के कारण पुनः निविदा आमंत्रित कर श्री विष्णु कुमार लबाना से उक्त कार्य पूर्ण करवाया गया। इसके बाद रेस्पोडेन्ट विभाग द्वारा अपीलान्ट फर्म से लगातार बकाया राशि वूसली हेतु नोटिस जारी किये गये, किन्तु उनके द्वारा न तो कोई जवाब दिया गया एवं न ही बकाया राशि जमा करायी गयी। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने रेस्पोडेन्ट/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर राजस्थान जनमांग वसूली अधिनियम 1952 के तहत संविदा की धारा 2 व 3 सी की कार्यवाही करते हुए विपक्षी/अपीलान्ट फर्म से राशि 229456/– रूपया वसूली के आदेश दिये हैं, जो प्रथम दृष्टया विधि सम्मत होने से हम उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

7. अतः अपील अपीलान्ट सारहीन होने से खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय दिनांक 08–05–2024 यथावत रखा जाता है। निर्णय आज दिनांक 16–10–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।

16.10.25

(कीर्ति राठौड़)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Kirti Rathore
Date: 2026.01.29 11:07:16 IST
Reason: SelfAttested